

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प08(38) राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक २५-२-२०१७

:: आदेश ::

विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, जोधपुर में उक्त अधिनियम के नियम 8 के अन्तर्गत श्री लादूराम विश्नोई, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/603/79) को राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक के पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. 18,000/- प्रतिमाह एंव रूपये 2500/- प्रति दिवस उपस्थिति फीस (irrespective of number of cases) पर तीन वर्ष या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

२०
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (जी.एस.वाई.) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय विधिमंत्री महोदय।
4. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
7. विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप-10) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
9. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर/जोधपुर जिला।
10. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, अन्तर्गत विशेष न्यायालय अधिनियम 2012, जोधपुर।
11. जिला कलक्टर, जोधपुर।
12. कोषाधिकारी, जोधपुर।
13. संबंधित अभियोजक।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी वादकरण।
16. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

२५/२०१७

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प०८(३८) राज/वाद/१९

जयपुर, दिनांक २५-२-२०१९

:: आदेश ::

विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 के अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालय, जयपुर में उक्त अधिनियम के नियम ८ के अन्तर्गत श्री रामकुमार सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/२४२/७२) को राज्य पक्ष की ओर से पैरवी हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक के पद पर मासिक रिटेनरशिप रु. १८,०००/- प्रतिमाह एंव रूपये २५००/- प्रति दिवस उपस्थिति फीस (irrespective of number of cases) पर तीन वर्ष या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

E^o
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशेषाधिकारी (जी.एस.वाई.) माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय विधिमंत्री महोदय।
4. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
7. विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप-१०) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
9. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर/जयपुर जिला।
10. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, अन्तर्गत विशेष न्यायालय अधिनियम 2012, जयपुर।
11. जिला कलक्टर, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, जयपुर।
13. संबंधित अभियोजक।
14. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
15. लेखाधिकारी वादकरण।
16. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण